

36

Annex 5

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: मुसप्र/02/ 568

दिनांक: - 19-8-02

अध्यक्ष,

मान-सरोवर मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी,

मान-सरोवर, जयपुर।

विषय: - सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 की धारा-34 के अन्तर्गत मण्डल की मान-सरोवर योजना में "मस्जिद" हेतु आवंटित भूमि का "संशोधित" आवंटन पत्र।

सन्दर्भ: - इस कार्यालय द्वारा जारी आवंटन पत्र क्रमांक-227 दि० 23.3.2002 एवं माननीय मन्त्री सचिवालय के पत्र क्रमांक-मुमं/3/प-8(2) हा.बो./02/4775 दिनांक :- 17.6.2002 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डल के उक्त सन्दर्भित आवंटन पत्र के द्वारा मानसरोवर योजना के सेक्टर-3 में 1,000 व०मी० भूमि का आवंटन योजना की आवासीय आरक्षित दर से किया गया था, जिसके क्रम में राज्य सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाकर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक- 585 दिनांक- 26.6.93 के अन्तर्गत धार्मिक स्थल हेतु उक्त भूमि का आवंटन निम्नानुसार वर्ष 1999-2000 में आरक्षित आवासीय दरों से किया जा रहा है:-

1. 200 व०मी० भूमि तक आरक्षित दर की 25% की दर से प्र०व०मी० = 38500.00
2. 201 से 400 व०मी० तक आरक्षित दर की 50% दर से प्र०व०मी० = 77000.00
3. 401 से 600 व०मी० तक आरक्षित दर की 75% की दर से प्र०व०मी० = 115500.00
4. 601 से 1000 तक, आरक्षित दर 770/- प्र०व०मी० से = 308000.00

कुल = 539000.00

5. विविध खर्च की राशि = + 16170.00

6. लीज राशि 2.5% कार्यालय आदेश क्रमांक- एफ2/3/लागत/1015/44 दिनांक- 11.4.96 के अनुसार + 32000.00

योग:- 587170.00

संस्था द्वारा पूर्व में जमा राशि - 556090.00

शेष जमा कराने योग्य राशि = 31080.00

क्रमशः - - - - - 2